न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
67 / 2021 प्रा.पत्र / 2021	16.07.2021	09.01.2026
जीसीएमएस–109 / 2021		

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री नाथू लाल जैन पुत्र श्री रामस्वरूप जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स रामस्वरूप नाथू लाल किराणा स्टोर चौपड चौराहे के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 5 चौपड चौराहे के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज.। पिनकोड–304504
2–श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चौक मालपुरा जिला टोंक निवासी 35 महावीर चौक मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड–304502
3–श्री सुशील चन्द्र श्रीवारतव पुत्र श्री आर.सी. श्रीवास्तव नॉमिनी मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सर्वे नं. 217 / 2 ग्राम मिठी रोहर गांाधीधाम कच्छ भुज्ज गुजरात। पिनकोड–370240
4–मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सर्वे नं. 217 / 2 ग्राम मिठी रोहर गांाधीधाम कच्छ भुज्ज गुजरात। पिनकोड–370240

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री जितेन्द्र जैन उप.।
व अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 व 4 श्री भानूप्रताप सिंह एड. उप.।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 09.1.26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.12.2020 को समय बाद दोपहर 03:11 पर मैसर्स रामस्वरूप नाथू लाल किराणा स्टोर चौपड चौराहे के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता श्री नाथू लाल जैन पुत्र श्री रामस्वरूप जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स रामस्वरूप नाथू लाल किराणा स्टोर चौपड चौराहे के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला। श्री नाथू लाल जैन पुत्र श्री रामस्वरूप जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नाथू लाल जैन पुत्र श्री रामस्वरूप जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता / मैनेजर होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, चीनी मसाले पैंकिग अलग–अलग ब्राण्ड आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ **रिफाइंड सोयाबीन तेल सोयुम ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Soyumm Brand)** के 455–455 ग्राम के 21 नग बोतल पैक आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री नाथू लाल जैन पुत्र श्री रामस्वरूप जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री नाथू लाल जैन पुत्र श्री रामस्वरूप जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल सोयुम ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Soyumm Brand)** जिसके बैच नं. केडी27 बी एवं पैकिंग की दिनांक अगस्त 2020 थी, में से 455–455 ग्राम के 4 नग बोतल पैक कुल 1820 ग्राम नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल सोयुम ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Soyumm Brand)** 455–455 ग्राम के 4 नग में से एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2741 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2741 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री नाथू लाल जैन पुत्र श्री रामस्वरूप जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स रामस्वरूप नाथू लाल किराणा स्टोर चौपड चौराहे के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चौक मालपुरा जिला टोंक निवासी 35 महावीर चौक मालपुरा जिला टोंक का बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स पवन किराणा स्टोर के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सर्वे नं. 217/2 ग्राम मिठी रोहर गांधीधाम कच्छ भुज्ज गुजरात का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/173 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल0एस0/2512/एक्ट/2020/47 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल सोयुम ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Soyumm Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zf)(C)(i) का उल्लघंन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए एवं बहस की, बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल सोयुम ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Soyumm Brand)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल सोयुम ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Soyumm Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से कय किया है अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.1.26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक